परिपत्र संख्या-स0द0/25-क/रोड चेकिंग/कम्प्यूटर परि0सं0-1920049 / 1180 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 26 अगस्त, 2019

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),

असिस्टेन्ट कमिश्नर (सचलदल),

वाणिज्य कर अधिकारी(सचलदल),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: माल का परिवहन करने वाले वाहनों की रोड चेकिंग।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा-68 एवं उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम-138B में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मालयुक्त वाहनों की परिवहन के दौरान जांच को सरल एवं प्रभावी बनाने हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं :-

(1) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) अपने अधीनस्थ सचलदल इकाइयों द्वारा रोड चेकिंग हेतु साप्ताहिक परिनियोजन करेंगे तथा सप्ताहांत में इसे अभिलिखित करेंगे। प्रत्येक सचलदल अधिकारी द्वारा परिनियोजित स्थान / मार्ग / समय पर पूर्ण मनोयोग एवं सजगता से रोड चेकिंग की जाएगी।

(2) प्रत्येक सचलदल इकाई द्वारा प्रत्येक माह में की जाने वाली रोड चेकिंग में कम से कम आठ रात्रि में रोड चेकिंग सुनिश्चित की जाएगी।

(3) प्रदेश के सभी जोन की भौगोलिक स्थिति और जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राज्यमार्गों एवं राज्य राजमार्गों के दृष्टिगत निम्न तालिका के अनुसार प्रत्येक सचलदल इकाई द्वारा प्रति माह न्यूनतम वाहनों की जांच सुनिश्चित की जाय।

क्र0सं0	जोन	न्यूनतम जांच के वाहनों का मानक
1	आगरा, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद I एवं II , कानपुर I एवं II एवं वाराणसी I.	700
2	गोरखपुर, लखनऊ I एवं II, मुरादाबाद एवं सहारनपुर	500
3	अयोध्या, बरेली, इटावा, झांसी, मेरठ, प्रयागराज एवं वाराणसी II	300

(4) प्रत्येक जोन में करापवंचन के दृष्टिकोण से चिन्हित संवेदनशील वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों की जांच का मानक उस जोन हेतु निर्धारित वाहनों की जांच के मानक का पचास प्रतिशत होगा।

(5) प्रत्येक सचलदल इकाई द्वारा रोड चेकिंग के दौरान ही वाहनों की जांच के निर्धारित मानक के कम से कम दो प्रतिशत परचून के वाहनों की जांच की जाएगी।

(6) प्रत्येक जोन में चिन्हित ट्रांसपोर्टर्स के कम से कम एक वाहन का ए श्रेणी का भौतिक सत्यापन प्रत्येक सचलदल इकाई द्वारा इस प्रकार किया जाए कि जोन में चिन्हित सभी ट्रांसपोर्टर्स इसमें आच्छादित हो जायें।

(7) प्रत्येक सचलदल इकाई से सम्बद्ध वाहन में वेहिकिल ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) स्थापित है। सचलदल इकाई के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वी0टी0एस0 सदैव क्रियाशील रहे।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमृता सोनी)

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।